

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 220-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5614-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/14-15 /16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	एकड़ (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरड़ा
			115	9.56	गैर मुमकिन बरड़ा
			116	7.70	बंजड़
			138	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरड़ा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरड़ा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरड़ा
		कुल योग	11 किता	103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 220-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां